मूल्य/धर्मार्थ : 1 पैसा
(केवल बहाईयों में वितरण हेतु)

बहाई समाचारपत्र

वर्ष : 56 अंक 03 प्रकाशन : प्रत्येक माह की 8 तारीख
मार्च 2020 बहाई वर्ष : 176–177

विश्व न्याय मन्दिर

जब मित्र एक समुदायसमूह में अपने चारों ओर आकार ले रही समुदाय–निर्माण गतिविधियों को प्रबलित करते तथा बढ़ाते रहते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक खास विकास कर लिया गया है। विकास बनाये रखने की पद्धति के सभी आवश्यक तत्व अब अपना स्थान बना चुके हैं।

–29 दिसम्बर 2015

जमशेदपुर में रूही पुस्तक–2 से संबंधित अध्ययन का आयोजन

झारखण्ड के जमशेदपुर में 11 से 14 फरवरी 2020 को राज्य स्तर पर चार दिवसीय रूही पुस्तक–2 (सेवा का संकल्प) का अध्ययन एवं भ्रमण का आयोजन बहाई भवन में किया गया। इस बैठक में जमशेदपुर, आसनबनी, मानगो, पटमदा इत्यादि क्लस्टरों के लगभग 8 समुदायों से 30 मित्रों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य – आने वाले ग्रीष्मावकाश हेतु प्रतिभागियों को आमंत्रित करना, नये बहाई परिवारों का दृढ़ीकरण करना, नये मित्रों का शिक्षण करना और साथ ही, उपवास रखने हेतु प्रोत्साहित करना इत्यादि था। इस बैठक में मित्रों ने पुस्तक की तीन इकाइयों का अध्ययन किया जिसमें – प्रभुधर्म का संदेश देने का आनंद, सुगठन के विषय, बहाई मान्यताओं का परिचय शामिल थे। पहली इकाई से मित्रों ने जाना की सच्चा आनंद प्रभुधर्म का संदेश देने में निहित है। हमें अपने दैनिक क्रियाकलापों से कुछ क्षण ईश्वरीय शब्दों के प्रसार में अवश्य देने चाहिए। हमें प्रतिदिन ईश्वरीय शब्दों की अतल गहराइयों में छिपी मणिमुक्ताओं को खोजने का प्रयास करते हुए दैनिक जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों ने जाना की सेवा के आनंद को बनाये रखने हेतु कार्य करने एवं त्याग करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। दूसरी इकाई से मित्रों ने नये अनुयायियों/परिवारों से मिलने संबंधित विषयों जैसे–ईश्वर की शाश्वत संविदा, बहाउल्लाह का जीवन, बहाई समुदाय में परस्पर प्रेम और एकता, बहाई बैठकों और उन्नीस दिवसीय सहभोज सभाओं, कोष में दान देने के महत्व और प्रभुधर्म के संदेश को दूसरों तक पहुँचाने के आध्यात्मिक दायित्व जैसे विषयों की अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अंत में तीसरी इकाई से मित्रों ने प्रभुधर्म के शिक्षण में आवश्यक कला एवं कौशल को जाना। धैर्य, साहस, उत्साह, प्रेम इत्यादि वे कलाएं हैं जिसकी आवश्यकता हमें शिक्षण के समय होती है। पुस्तक के अध्ययन के साथ–साथ मित्रों ने पुस्तक के अभ्यास कार्य को भी पूरी तरह पूर्ण किया। पुस्तक की सेवा परियोजना को ध्यान में रखते हुए दो दिनों तक गृह–भ्रमण का आयोजन भी किया गया, जिसमें 5 दलों ने मिलकर 5 समुदायसमूहों में भ्रमण किया।



रूही पुस्तक–2 का अध्ययन करने वाले प्रतिभागी

दिल्ली में परिषद सचिवों और कोषाध्यक्षों के साथ परामर्श बैठक

प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सभा सभी 19 राज्य एवं क्षेत्रीय बहाई परिषदों के पदाधिकारियों की वार्षिक बैठक की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ करती है। इस वर्ष 15 व 16 फरवरी को बहाई उपासना मंदिर के शैक्षणिक केन्द्र में यह बैठक हुई। परिषदों के सचिव एवं कोषाध्यक्ष और प्रशिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्षों के साथ कुछ क्षेत्रों के लेखापाल भी उपस्थित हुये।

किसी भी परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व यह होता है कि वह अपने क्षेत्र के समुदायसमूहों में प्रसार और दृढ़ीकरण के दिशानिर्देश प्रदान करे तथा उन्हें आगे ले जाये। बैठक में उपस्थित मित्रों ने इस विशाल जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक क्षमता–निर्माण की ज़रूरतों की चर्चा की। इसे सभी ने स्वीकार किया कि इनमें सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि किस प्रकार एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाये जिसमें मित्रगण एक–दूसरे को सहयोग प्रदान करने की कला को सीख लें और सेवा के विविध कार्यों में एक–दूसरे को प्रोत्साहित करें। परिषदों को जिस एक अन्य क्षमता को प्राप्त करने की ज़रूरत होगी कि वे अपने क्षेत्र में हो रहे विकास की देख–रेख करने के लिये समुदायसमूह की वास्तविकता को जानें और उसका विश्लेषण कर सकें। सांख्यिकी के सहारे इस काम को आसानी से किया जा सकता है। विकास का मूल्यांकन करने के लिये उसका आंकलन करना आवश्यक होता है। बैठक के प्रतिभागियों ने इसे भी स्वीकारा कि तृणमूल स्तर पर आंकड़ों का रख–रखाव आवश्यक है। यह काम नियमित रूप से गतिविधियों में भाग लेने वाले मित्रों की संख्या और नये नामांकन करवाने वालों की संख्या का रिकार्ड रखना आवश्यक हो जाता है। संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों का सही–सही ब्यौरा रखना क्लस्टर की एजेंसियों के लिये यह आवश्यक हो जाता है ताकि प्रभावी योजनायें बनायी जा सकें। परिषद के सदस्यों ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी स्थापित की जहाँ तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है इनमें स्टडी सर्कल, बच्चों की कक्षाओं और युवा दलों के प्रतिभागियों के नाम केवल संख्या नहीं दर्ज़ करना ज़रूरी है। रूही संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने वालों का रिकार्ड भी रखा जाना चाहिये।



परिषद सचिवों और कोषाध्यक्षों के लिए आयोजित बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी

इस परामर्श–बैठक के केन्द्र में था किस प्रकार परिषदें स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं को सशक्त कर सकती हैं ताकि वे अपने–अपने क्षेत्रों का स्वामित्व ग्रहण कर सकें। परिषदों ने अपने–अपने अनुभव साझा किये कि किस प्रकार यह उनके ध्यान को आकर्षित करने

शेष पृष्ठ 4 पर

इस अंक में

उपवास, अनिवार्य प्रार्थना और नवरूज़

बहाई कैलैण्डर के अनुसार वर्ष में 18 वें तथा 19 वें महीने के बीच 4 और कभी–कभी 5 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें ''अय्याम–ए–हा'' (लौंद के दिन) कहा जाता है। इन दिनों में बहाई अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को प्रीतिभोज देते हैं या अपने से गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। उन्नीसवें महीने, 'उच्चता' (अला) के आरम्भ के साथ ही हमारे उपवासों का समय आरम्भ हो जाता है।

उपवासों के इन 19 दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम न कुछ खाते हैं न पीते हैं। प्रभु की प्रार्थना करने तथा उसके सभी आशीर्वादों तथा कृपाओं के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए हम भोर के समय जाग जाते हैं। फिर सूर्योदय से पहले हम कुछ खा–पी लेते हैं और सूर्यास्त होने से पूर्व दिन भर कुछ भी नहीं लेते। सूर्यास्त के समय प्रार्थना के उपरान्त हम अपना उपवास खोलते हैं।

किसी अन्य समय की अपेक्षा उपवासों के ये 19 दिन हमें प्रभु के निकट लाते हैं। उपवास रखकर हम प्रतीकात्मक ढंग से प्रभु के प्रति अपने प्रेम तथा उसकी आज्ञाओं के पालन के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन करते हैं।

उपवास के बारे में अब्दुल–बहा कहते हैं:

''उपवास एक चिह्न है। उपवास का अर्थ विषय–वासना से दूर रहना है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पेट की भूख को रोक सकता है उसी प्रकार उसे अपनी इच्छाओं तथा वासनाओं से बचना चाहिए। इस अभिप्राय से उपवास का यह अर्थ नहीं है कि भोजन को सर्वथा त्याग दिया जाए। भोजन के बारे में सुनहरा नियम यह है कि न बहुत अधिक भोजन किया जाए और न बहुत कम। संयम आवश्यक है।''

सूर्योदय से पहले हम प्रार्थना तथा ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। 'बहाउल्लाह' द्वारा प्रकाशित कई सुन्दर प्रार्थनाएँ हैं, विशेषकर इस अवसर के लिए। उपवास के दिनों में हम किसी अन्य समय की अपेक्षा 'बहाउल्लाह' के प्रति अधिक प्रेम का अनुभव करते हैं और सदा याद रखते हैं कि केवल उनके प्रेम के लिए ही हम उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के उपरान्त हम अपना उपवास खोलते हैं। उपवास खोलने से पहले या बाद में हम प्रार्थना भी करते हैं। यद्यपि 'बहाउल्लाह' द्वारा विशेषकर उपवास के अवसर के लिए प्रकट की गई बहुत सी प्रार्थनाएँ हैं, हमें बहाई पवित्र ग्रन्थ में प्रकाशित प्रार्थनाओं में से किसी भी प्रार्थना को पढ़ने की अनुमति प्राप्त है फिर भी मित्रों की सुविधा के लिए हम उन प्रार्थनाओं में से एक नीचे दे रहे हैं जो उपवासों की अवधि में पढ़ी जाये:

''हे नाथ, मेरे परमात्मा, तेरी जय हो! जिसके द्वारा अन्धकार को प्रकाश में परिणित किया जा चुका है, जिसके द्वारा बारम्बार प्राकट्यशील महामन्दिर का निर्माण किया गया है और लिखित दिव्य–पाटी का प्राकट्य कर दिया गया है और सर्वव्यापी विधान का अनावरण कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं वह जो हमें तेरे सर्वोच्च गौरव के स्वर्गों में विचरने में सहायक हो सके और जो हमें ऐसी शंकाओं से मुक्त कर दे जिन शंकाओं ने शंकालुओं को तेरी एकता के तम्बू में प्रवेश करने से रोक दिया है।''

''मैं वह हूँ, हे मेरे स्वामी, जिसने तेरी प्रेमपूर्ण दयालुता की डोर को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है, जिसने तेरी दया और कृपा के दामन को थाम लिया है। मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के लिए इस लोक एवं आने वाले लोक में इष्ट वस्तुओं की व्यवस्था कर। फिर प्रदान कर उन्हें अपने वे अदृश्य उपहार जिनकी तूने अपने प्राणियों में से अपने सर्वाधिक प्रियजनों हेतु व्यवस्था रखी है।''

''ये वे दिन हैं, हे मेरे स्वामी, जिनके अन्तर्गत तूने अपने भक्तों को उपवास रखने की आज्ञा दी है। धन्य है वह जो तुझ महान् को छोड़कर शेष सब वस्तुओं से विरक्त होकर और केवल मात्र तेरे लिए उपवास रखता है। मुझे और उन लोगों को, हे मेरे नाथ, तेरी आज्ञा का पालन करने और तेरे उपदेशों पर कायम रहने में सहायता प्रदान कर। तू जो कुछ करना चाहे उसे करने में तू निश्चय ही सशक्त है।''

''अन्य कोई नहीं अपितु तू ही ईश्वर है, तू ही सर्वज्ञाता है, तू ही सर्वबुद्धिमान है। समस्त लोकों के स्वामी उस परमात्मा की जयजयकार हो।''

उपवासों की अवधि बहाई वर्ष के अन्तिम दिन तक चलती रहती है। नये वर्ष का पहला दिन, जो उपवासों की समाप्ति का सूचक है, इस दिन को बहाई ''नवरूज़'' (नव–वर्ष–दिवस) के सहभोज के रूप में मनाते हैं।

मध्यप्रदेश की गतिविधियाँ

• प्रदेश के विकास की गति को देखकर, मध्यप्रदेश के उज्जैन क्लस्टर के हरसोदन गांव में तीन दिवसीय संस्थागत बैठक का आयोजन 20 से 22 जनवरी 2020 को किया गया, जिसमें परिषद, प्रशिक्षण संस्थान मण्डल, सहायक मण्डल सदस्यगण के साथ–साथ कुछ विकसित समुदायसमूहों से चुने हुये मित्रों का आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में तीन दिनों तक गांव के कुछ चुने हुये परिवार जिनसे मित्र मूलभूत गतिविधियों में भाग लेने के लिये शामिल होते थे उनके घर जाकर प्रत्यक्ष शिक्षण किया गया। यह तीन दिनों की संस्थागत बैठक बहुत प्रभावशाली रही क्योंकि इसके दौरान ऐसे मित्रों को भी शिक्षण करने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने अभी तक किसी को भी प्रभुधर्म के शिक्षण के बारे में नहीं बतलाया। कार्यक्रम के दौरान



संस्थागत बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी

सलाहकार श्री दृगपाल एवं उत्तर प्रदेश के सहायक मण्डल सदस्य का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप ऑफ फैमिली की सीख पर तैयार प्रपत्र का गहन अध्ययन किया गया और उसके साथ–साथ 3 मई 2018 के प्रपत्र का भी अध्ययन किया गया। इन तीन दिनों के अध्ययन के दौरान मित्रों ने बहुत सारे व्यवहारिक युवा माताओं की भूमिका और किशोर कार्यक्रम के प्रभाव पर बहुत गहन परामर्श किया गया और हरसोदन गांव में जल्द ही युवा माताओं के लिये युवा सम्मिलन रखने की तैयारी करने की एक ठोस योजना बनाई गयी जिसके आमंत्रण की प्रक्रिया कार्यक्रम के दौरान ही प्रारम्भ कर दी गई। पूरे तीन दिनों के दौरान सलाहकार



खरगौन में आयोजित कक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागी

पहलुओं पर खुलकर परामर्श किया, साथ ही उन्हें अपने समुदायों में कैसे लागू किया जाये यह समझ भी विकसित की।

मित्र पूरे दिन जिन प्रपत्रों का अध्ययन करते उनसे प्राप्त सीख के आधार पर शाम को हरसोदन महोदय द्वारा पूरे प्रदेश के समुदायसमूहों की योजना बनाने हेतु और सबरीजन स्तर पर मित्रों की टीम तैयार करने के विषय में ठोस परामर्श किया गया।

• मध्यप्रदेश के खरगौन

शेष पृष्ठ 3 पर

समाचारचित्र



असम की प्रियंका बोरो और चिन्मोय मजुमदार का विवाह बहाई विधिविधान के अनुसार 27 जनवरी, 2020 को सम्पन्न हुआ।



महाराष्ट्र के कल्याण समुदाय ने बाल निकेतन स्कूल में नैतिक कक्षा के बच्चों, स्कूली बच्चों, उनके माता–पिता और पड़ोस के साथ बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ अधिदिवस मनाया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रार्थनायें की गईं और सांस्कृतिक कार्यकम के दौरान गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत किये गये। उपस्थित बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण भी किया गया।

मध्यप्रदेश की गतिविधियाँ

पृष्ठ 2 का शेष

क्लस्टर में वहीं के स्थानीय मित्र के प्रयास से डालका गांव में 12 युवा मित्रों के साथ एक अध्ययन–वृत कक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें रूही पुस्तक–1 का अध्ययन किया जा रहा है। मित्रगण पुस्तक की तीसरी इकाई के अंतिम भागों का अध्ययन कर रहे हैं उसी दौरान परिषद की ओर से वर्किंग टीम ने वहां पर भ्रमण किया और सभी मित्रों के बीच बहाई धर्म एवं बहाउल्लाह द्वारा दिये गये नियमों एवं कुछ विधानों के विषय में खुलकर परामर्श किया। मित्रों को अनिवार्य प्रार्थना और बहाई उपवास के महत्व के बारे में बतलाया। इसके साथ साथ मित्रों को उनके घरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन कैसे और क्यों किया जाये उसके संबंध में भी कई विषयों पर परामर्श किया गया। मित्रों के साथ युवा सम्मिलन एवं गांव के विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में भी परामर्श किया गया।

अध्ययन–वृत कक्षा में भाग लेने वाले मित्रों में से 11 मित्रों ने प्रभुधर्म में अपनी आस्था व्यक्त की और बहाई घोपणा पत्र को भर कर अपने ट्यूटर को दिया।

वर्किंग टीम के भ्रमण के उपरांत डालका गांव में प्रार्थना सभाओं की शुरूआत रूही पुस्तक का अध्ययन कर रहें मित्रों के घरों में किया जाने लगा है।

फरीदाबाद में बाब के जन्म की द्विशताब्दी का उत्सव

फरीदाबाद की स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने 9 फरवरी 2020 को बाब के जन्म की द्विशताब्दी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 लोग शामिल हुए, जिनमें से 100 जिज्ञासु मित्रगण थे।

इसके बाद, किशोर कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा महात्मा बाब की खोज कैसे की गई, इस विषय पर एक लघुनाटिका प्रस्तुत की गई। बच्चों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से कुछ प्रेरणादायक संदेश दिए।

एक छोटी बालिका ने उपस्थित मित्रगणों को संक्षेप में बाब के मिशन के बारे में बताया।



फरीदाबाद में आयोजित बाब के जन्मोत्सव के दौरान नाटिका प्रस्तुत करते हुए

इस उत्सव का आयोजन बड़ी ही आध्यात्मिकता, आनन्द और उत्साह के साथ किया गया। यह फरीदाबाद के समस्त बहाई समुदाय का एक संयुक्त प्रयास था, जिसमें सभी ने बढ–चढ़कर अपना–अपना सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम का आरम्भ प्रार्थना के साथ हुआ। प्रार्थना के बाद उपस्थित मित्रों को प्रभुधर्म के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में जानकारी दी गई।

अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने बहुत सराहना की।

कुल मिलाकर यह फरीदाबाद आध्यात्मिक सभा के लिए एक अच्छा अनुभव था क्योंकि वे इतने बड़े पैमाने पर बहाउल्लाह का संदेश देने में सफल हुए।

बहाई विश्व केन्द्र में सेवा के अवसर

जैसे–जैसे दुनिया के हर भाग में प्रभुधर्म के कार्य फैलते जा रहे हैं वैसे–वैसे बहाई विश्व केन्द्र की प्रभावशाली कार्यविधि का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रभुधर्म के विश्व केन्द्र का वर्णन शोगी एफेंदी द्वारा कुछ इन शब्दों में किया गया है : विश्व केन्द्र "नई विश्व व्यवस्था की एजेंसियों की धुरी है," यह विविध देशों से आये अनुयायियों के निरन्तर प्रवाह से सम्बलित है, जो निःस्वार्थ भाव से सेवा की एक निश्चित अवधि के लिये आते हैं, जो अवधि भिन्न–भिन्न हुआ करती है। विश्व केन्द्र में स्टॉफ की ज़रूरत विभिन्न कामों के लिये होती है, जो उपलब्ध संसाधनों और बढ़ती हुई ज़रूरतों के आधार पर निर्भर करते हैं। किसी ख़ास समय में सुयोग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो किसी अन्य समय में सामान्य काम–काज के लिये ज़रूरत होती है। विश्व केन्द्र में सेवा की प्रकृति के कारण 12 महीने या अधिक समय के लिये यह ज़रूरत पड़ती है। इच्छुक व्यक्ति को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिये।

सेवा देने के इच्छुक किसी भी मित्र को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि वह सीधे तौर पर अपना आवेदन https:/bahai.bwc.org/service/ पर भेज कर कार्मिक विभाग से सम्पर्क करे।

Regd. No. DELHIN / 1966 / 04204 **Delhi Postal Regd No. DL (ND) 11/6036/2018-19-20**
New Delhi P.S.O. **Licensed to post without pre-payment No. U (C)-52/2018-19-20**

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के संबंध में बहाउल्लाह का विधान

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के विधानों का सिंहावलोकन और इनकी उपयुक्तता

शव का संलेपन, सार्वजनिक दर्शन के लिये रखना और मृत्यु के तुरंत बाद शव–संस्कार कर देना

...बहाई शिक्षाओं से यह साफ पता चलता है कि शव का संलेपन नहीं किया जाना है... पूर्व के देशों में यह प्रचलन है कि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर शव को भूमिगत कर दिया जाये, कभी–कभी इससे भी पहले कर दिया जाता है। प्रभुधर्म की शिक्षाओं में समय–सीमा का उल्लेख नहीं मिलता है।

(शोगी एफेंदी की ओर से 2 अप्रैल 1955 को एक अनुयायी को भेजे गये पत्र से)

बहाउल्लाह ने सलाह दी है कि मृत्यु के बाद जितनी शीघ्रता से हो सके शव को भूमिगत कर दिया जाये। जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि शव को भूमिगत करना तुरंत सम्भव नहीं हो अथवा किसी नागरिक कानून के अंतर्गत शव को कुछ दिनों के लिये रखना ही पड़े, वैसी स्थिति में शव का संलेपन किया जा सकता है, बशर्ते जो प्रक्रिया अपनाई गई हो वह अस्थाई हो। फिर भी, शव का संलेपन इस प्रकार न किया जाये कि शव का अवघटन अधिक समय तक न हो सके। ऐसी प्रक्रिया अपनाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि अनिश्चित काल के लिये शव को यथास्थिति बनाये रखा जाये।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को 17 जून 1988 को लिखे गये पत्र से)

...शोध प्रभाग किसी भी ऐसे लेखांश को निकाल पाने में अब तक असमर्थ रहा है जिससे यह मालूम हो कि शरीर को भूमिगत करने के पहले उसे कितने समय तक रखा जाये अथवा दर्शनार्थ रखा जाये। किन्तु प्रभाग यह बतलाना चाहता है कि "प्रश्न और उत्तर" के 16वें नम्बर में यह वाक्य मिलता है : "शव को जितनी जल्दी भूमिगत किया जाये, उतना ही उपयुक्त और स्वीकार्य है।" यह अनुमति भी नहीं है कि पार्थिव अवशेष को लम्बे समय के लिये संलेपित किया जाये। दूसरी ओर, इस बात की अनुमति है कि शरीर को वैज्ञानिक शोध के लिये छोड़ दिया जाये जिसका अर्थ होता है कि मृत्यु के बाद भूमिगत किये जाने की क्रिया देर से सम्पन्न की जा सकती है और इस प्रकार मृत्यु तथा भूमिगत करने के बीच एक लम्बा समय लग सकता है। इसका अर्थ है कि लचीलेपन की अनुमति है। पवित्र भूमि में सामान्यतः शव को उसी दिन या उसके दूसरे दिन भूमिगत कर दिया जाता है।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से 4 जनवरी 1994 को एक अनुयायी को लिखे गये एक पत्र से)

क्रमशः

निवेदन

मित्रों, अपने समुदायसमूह में होने वाली मूल गतिविधियों की रिपोर्ट तथा प्रेरणादायक घटनायें फोटोग्राफ के साथ हमें समय–समय पर भेजते रहें, जिससे की हम उन्हें अपने बहाई समाचारपत्र में प्रकाशित कर सकें।

धन्यवाद !

दिल्ली में परिषद सचिवों और कोषाध्यक्षों के साथ परामर्श बैठक

पृष्ठ 1 का शेष

का कारण बना और वे क्षेत्रीय शिक्षण समिति को मजबूत कर पाये। कुछ परिषदों ने बतलाया कि किस प्रकार उन्होंने स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की गतिविधियों पर निरन्तर ध्यान दिया और आवश्यक संसाधन उन्हें मुहैया किये जाते रहे। बहाई विधानों की शिक्षा, प्रार्थना सभायें, उन्नीस दिवसीय सहभोज के महत्व से सम्बन्धित आलेख और दान की आध्यात्मिक प्रकृति जैसे विषयों पर पठनीय सामग्रियां परिषदों द्वारा स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं को भेजी जाती रहीं ताकि अनुयायी मार्गनिर्देश के लिये बहाई लेखों को देखें और अपनी राह तय करें। आध्यात्मिक सभाओं को इस बात के लिये भी प्रेरित किया गया कि वे परिवारों के समूह के लिये प्रार्थना सभाओं का आयोजन करें जब परिवारों के ये समूह नियमित रूप से मिलना शुरू कर देंगे और पाठ्यसामग्रियों का अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है कि वे युवाओं की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के महत्व को समझ पायेंगे और तब बच्चों की कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, किशोर समूहों की संख्या बढ़ेगी। कुछ परिषदों ने स्थानीय आध्यात्मिक सभा की मदद के लिये और वार्षिक योजना बनाने में सहयोग देने के उद्देश्य से "स्थानीय आध्यात्मिक सभा टीम" का गठन किया है। यह टीम एक चक्र में एक बार स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं से मिलती है।

किस प्रकार परिषदें अपने क्षेत्र के अनुयायियों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं और किस प्रकार प्रार्थना सभाओं के प्रतिभागियों, बच्चों की कक्षा और युवा दलों के प्रतिभागियों के माता–पिता के साथ सम्पर्क रखा जा सकता है, यह परामर्श का दूसरा महत्वपूर्ण विषय था। परिषदों ने सीखने के एक अन्य क्षेत्र पर विचार–विमर्श किया वह था कि क्षेत्र में बहाई सम्पदाओं का अधिग्रहण और रख–रखाव किस प्रकार किया जाये। सामाजिक क्रिया के प्रकाश में आने और एक सक्षम कार्यालय स्थापित किये जाने पर भी चर्चायें हुईं। एक कारगर कार्य–प्रणाली स्थापित करने की बातें भी की गईं ताकि मार्गदर्शन का प्रवाह बना रह सके और परिषद से तृणमूल स्तर तक और तृणमूल स्तर से परिषद तक एक प्रभावी कार्यपद्धति विकसित की जा सके।

कोष विकास और प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यशालायें भी आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य था विभिन्न अनुभव साझा किये जा सकें। एक परिषद ने कोष पर प्रलेख तैयार किया है जो कोष–विकास और प्रबन्धन से सम्बन्धित है, इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक सभाओं और अनुयायियों से साझा करना। कोष–यात्रा और परिवार कोष संवर्धन सम्मेलन का आयोजन क्षेत्रीय परिषदों के कोषाध्यक्षों के सहायकों द्वारा किया जाना निश्चित किया गया। प्रबन्ध से सम्बन्धित जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेखा–जोखा रखने और आर्थिक पद्धति की रिपोर्ट तैयार करना भी एक चुनौती है। परिषदों ने अपने–अपने क्षेत्रों से प्राप्त सीखें साझा की प्रभुधर्म के कोष का प्रबन्धन किस प्रकार किया जाये, इस विषय पर भी विस्तार से बातचीत हुई।

बैठक में उपस्थित मित्रों के सामने एक बात जो उभर कर आई वह थी हर बहाई के सामने सेवा के अपार अवसर और कार्य का एक विशाल क्षेत्र। भारत का लक्ष्य है सघन विकास कार्यक्रम वाले 800 से अधिक समुदायसमूह और वह भी इस योजना के अंत तक।

कुल पृष्ठ संख्या–4

बहाई समाचारपत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित फार्म – 4, नियम 8

समाचार का नाम : बहाई समाचारपत्र
रजि नं. : DELHIN / 1966 / 4204 यू नं. (C)-52/2018-19-20
डी.एल. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
प्रकाशक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
(बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1)
प्रकाशन स्थान : बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1

मुद्रक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1
मुद्रण स्थान : श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110020
उन व्यक्तियों के नाम जो समाचारपत्र स्वामी हों : राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को इसका स्वामित्व प्राप्त है, जो सोसायटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

Licenced to post without Pre-Payment Posted at CPSO New Delhi on 10/11.03. 2020
Sender's Address:
6, Shrimant Madhavrao Scindia Marg.
New Delhi - 110 001 - INDIA

स्वामी, भारत के बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, जो सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, के लिए प्रकाशक, मुद्रक : सुशील कुमार के द्वारा श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 020 से मुद्रित एवं बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित (सम्पादक : सुशील कुमार)